छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

द हितवाद परिसर, अवंति विहार, मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड़ कार्यालय हेतु मानव संसाधन की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु द्वितीय निविदा–प्रपत्र

निविदा सूचना क्रमांक – 399

रायपुर, दिनांक 05/09/2017

//द्वितीय निविदा प्रपत्र//

निविदा प्रपत्र का शुल्क	निरंक
अमानत राशि	1,00,000.00 (एक लाख रू. मात्र)
निविदा जारी करने की तिथि	06.09.2017
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	26.09.2017 अपरांह 3 बजे
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	26.09.2017 अपरांह 4 बजे

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
द हितवाद परिसर, अवंति विहार, मुख्यालय रायपुर
द्वितीय निविदा की शर्तें

1. सेवा प्रदाता द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के निर्दिष्ट स्थानों पर लेखाकार्य हेतु 30 व्यक्तियों (लेखाकर्मी) को उपलब्ध कराये जायेंगे। मानव संसाधन की संख्या में बढ़ोत्तरी या कमी सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा की जा सकती हैं।
2. निविदाकारों को अमानत राशि के रूप में रू. 1,00,000/– छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से रायपुर में देय बैंक डाफ्ट टेक्निकल बिड लिफाफा में जमा किया जाना अनिवार्य है।
3. सफल निविदाकार की अमानत राशि धरोहर राशि के रूप में रखी जावेगी और सेवा अवधि संतोशप्रद ढ़ंग से समाप्ति के पश्चात् वापस की जावेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अन्य निविदाकारों की अमानत राशि, सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरांत वापस कर दी जावेगी।
4. प्लेसमेंट एजेंसी की पात्रता हेतु न्युनतम मापदण्ड :–
   1. शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में समान प्रकृति (लेखापाल) के विभिन्न कार्यों हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो। साक्ष्य हेतु नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र एवं संतोषजनक सेवा देने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
   2. गत वर्ष 2015–16 का फर्म के स्वयं का मानव संसाधन की सेवाएं उपलब्ध कराने का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम रू. 25 लाख होने का चार्टेड एकाउंटेन्ट से सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण–पत्र में मानव संसाधन सेवा के टर्न ओवर का उल्लेख होना अनिवार्य है।
   3. वैधानिक पंजीयन जैसे एम्प्लाईज प्रोविडेन्ट फंड, लेबर एक्ट, सर्विस टेक्स/जीएसटी आदि के अंतर्गत वैध पंजीयन हो। पंजीयन प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां टेक्निकल बिड लिफाफा में जमा करना होगा।
   4. आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी लेखा संख्या/पेन नम्बर प्राप्त हो, पेन कार्ड की प्रति जमा करना होगा।
5. पिछले दो वर्षो का आयकर रिर्टन संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा के अंर्तगत उपलब्ध कराये जाने वाले मानव संसाधन के विभिन्न कार्य के अनुसार कर्मियों के वर्ग के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बी.कॉम द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण एवं शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से एक वर्ष का कम्प्यूटर डिग्री/डिप्लोमा तथा छ.ग. का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, साथ ही ऑनलाइन लेखा संबंधी कार्य का न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। प्लेसमेंट एजेंसी को छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सूचना दिया जाने पर उक्त अनुसूची में वर्णित शैक्षणिक आर्हता तथा अनुभव रखने वाले मानव संसाधन, सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना होगा। कर्मियों की सख्या में कमी या बढोत्तरी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा समय–समय पर की जा सकेगी। प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी कर्मी प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा नियोजित होंगे तथा कर्मियों एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के मध्य सेवक एवं नियोजक

का संबंध नहीं रहेगा। यदि कोई कर्मी कार्य के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता या अनुशासनहीन होना पाया जाता है तो सूचना प्राप्त होने पर प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उसे तत्काल वापस लेना होगा तथा यदि आवश्यक हो तो उसके बदले अन्य कर्मी भेजना होगा। कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा मेडिकल फिटनेस, पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण सत्यापन आदि के अनुसार उत्तरदायित्व प्लेसमेंट एजेंसी पर होगा।

7. निविदा की स्वीकृति पत्रक जारी होने के सात दिनों के भीतर सफल निविदाकार को 100/– मात्र के नॉन–ज्यूडिसियल स्टॉम्प में अनुबंध करना होगा। निविदा के अंतर्गत अनुबंध की अवधि कार्यादेश से एक वर्ष की होगी जिसे और 03 माह तक समान दरों पर बढाया जा सकेगा जिसके लिए प्लेसमेंट एजेंसी बाध्य रहेगी। सफल निविदाकार द्वारा 07 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन न करने की स्थिति अथवा सेवा संतोषप्रद न पाये जाने पर निविदाकर्ता की अमानत/सुरक्षा राशि राजसात करते हुए भविष्य में निगम में निविदा हेतु अपात्र सूची में डाल दिया जाएगा।

8. **प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन कर्मियों को भुगतान :–**

प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन कर्मियों को बिन्दु क्र. 11 के अनुरूप एकमुश्त देयक राशि का भुगतान प्रतिमाह किया जावेगा :– निर्धारित एकमुश्त राशि में से प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा किसी प्रकार सेवा शुल्क की कटौती नहीं की जावेगी परंतु नियमानुसार कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा के अंश की कटौती ही की जायेगी तथा शेष राशि का भुगतान संबंधित कर्मी के बैंक खातों में करना होगा।

9. **प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा दिया जाने वाला वित्तीय प्रस्ताव :–**

अ. प्लेसमेंट एजेंसी को उपरोक्त अनुसूची में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखकर, नियमों के अनुसार विभिन्न संस्थाओं में जमा किए जाने वैधानिक देय राशि का स्पष्ट उल्लेख दर प्रपत्र में करना होगा।

ब. सेवा अनुबंध अवधि सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी परंतु आवश्यकतानुसार कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अवधि में वृद्धि करने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित रहेगा।

10. प्रस्ताव जमा करने की विधि – सीलबंद प्रस्ताव निर्धारित दर–प्रपत्र में दिये जावेंगे, बंद लिफाफा के ऊपर में फाईनेन्शियल बिड लिखा होगा। एक अन्य लिफाफा में डी.डी, अमानत राशि रू. 1,00,000/– की **"छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर"** के नाम से डी.डी., वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रमाणित प्रतियां जमा करना अनिवार्य है। लिफाफा के ऊपर में टेक्निकल बिड लिखा होगा। प्रस्ताव जमा किये जाने की अंतिम तिथि 26.09.2017 को अपरांह 3.00 बजे तक है। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

11. निविदाकार द्वारा, शासन द्वारा संविदा लेखापाल के लिये मान्य समेकित न्यूनतम वेतन देना होगा, जिसका वर्तमान दर प्रति व्यक्ति राशि रू. 18,655.00 प्रतिमाह है। निविदाकार द्वारा इस दर को ध्यान में रख कर ही **परिशिष्टः 1** में निविदा दरें भरी जायेगी।

अन्य शर्तें :–

प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, एम्प्लाईज प्रोविडेन्ट फण्ड तथा अन्य सभी प्रचलित संबंधित शासकीय नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। विभिन्न नियमों का पालन करने तथा निर्धारित राशि जमा करने का उत्तरदायित्व प्लेसमेंट एजेंसी का होगा।

I. नियोजित कर्मियों के मामले में संबंधित विभाग में जमा की गयी राशि की रसीद की छायाप्रति प्रतिमाह छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड में प्रस्तुत करना होगा जिसके उपरांत ही अगला भुगतान किया जावेगा।

II. प्लेसमेंट एजेंसी श्रम कानूनों का पालन करने के लिए स्वयं जवाबदार रहेगी एवं आवश्यक पंजीयन संबंधित विभाग से प्राप्त करेगी एवं प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

III. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध कराते समय सभी संबंधित कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश मय परिचय पत्र छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराया जाना होगा कर्मचारी की न्यूनतम योग्यता की पूर्ति करने की संपूर्ण जानकारी प्लेसमेंट एजेंसी की होगी।

IV. नियोजित कर्मियों की वर्णित एकमुश्त मासिक राशि का भुगतान EPF एवं ESIC कटौती प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा किया जायेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी को एकमुश्त देय राशि के अलावा सुपरविजन एण्ड मैनेजमेंट चार्जेस का भुगतान माह समाप्ति पर देयक प्रस्तुत किये जाने के उपरांत प्लेसमेंट एजेंसी को किया जायेगा।

V. प्रत्येक कर्मचारी का कार्य 8 घंटे होगा तथा संबंधित अधिकारी के निर्देशासनुसार कार्य का समय निर्धारित किया जा सकेगा।

VI. संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में दर्शित अर्हता के अनुरूप मानव संसाधन, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहमति के उपरांत ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।

VII. कार्यालयीन समय में कोई भी कर्मचारी बिना संबंधित अधिकारी की अनुमति के कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा।

VIII. कार्य के दौरान प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा संतोषप्रद सेवायें प्रदान न करने की स्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड एक सप्ताह के लिखित नोटिस के उपरांत उत्तर संतोषप्रद न पाये जाने पर अनुबंध निरस्त कर सकेगा।

IX. सभी कर्मचारी कार्यालय में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसमें कार्यालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपत्ति हो। यदि आवश्यक हुआ तो या छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी के कहने पर प्लेसमेंट एजेंसी को खराब आचरण करने वाले कर्मी को तत्काल बदलना होगा।

X. कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन महाप्रबंधक (वित्त), छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर के आदेश से किया सकेगा।

XI. शासन द्वारा निर्धारित सर्विस टैक्स/जी.एस.टी. को पृथक से दर्शाते हुए फर्म अपनी दरें संलग्न निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें।

XII. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने, नियम शर्तों को शिथिल करने तथा बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित रहेगा।

XIII. बिना कारण बताए निविदा में प्राप्त दरों को मान्य अथवा अमान्य करने का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

XIV. सेवा प्रदाता द्वारा प्रदाय किये जाने वाले व्यक्ति छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे।

XV. फर्मों को अब तक उनके द्वारा देय सर्विस टैक्स, जीएसटी, ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी. अन्य वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा करने, कोई देय राशि बकाया न होने, एवं किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेड न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

XVI. उपरोक्त शर्तो का पालन नही करने पर संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी को तीन वर्ष हेतु ब्लेक लिस्टेड करते हुए अमानत राशि राजसात की जावेगी।

XVII. व्यवहार में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर, छत्तीसगढ़ ही होगा।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

प्रबंधक (प्रशासन)

परिशिष्ट–1

प्रस्तुत की जाने वाली दरों का विवरणः–

क्रमांक	विवरण	दर (राशि रू0 में)
1	प्रति लेखाकर्मी के लिए प्रतिमाह निविदा राशि (रू. 18,655.00 + EPF, ESIC एवं समस्त करों सहित)	

- ❖ प्रति लेखाकर्मी को प्रतिमाह फर्म द्वारा निर्धारित वेतन या राशि रू. 18655.00 देय होगी।
- ❖ उक्त प्रतिमाह देय राशि में से नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआईसी कटौत्रा की जिम्मेदारी फर्म की होगी, नियोक्ता का अंशदान फर्म द्वारा ही दिया जाएगा।
- ❖ इसके अतिरिक्त शासन द्वारा निर्धारित समस्त प्रकार के करों (सर्विस टेक्स/जीएसटी सहित) के भुगतान की जवाबदेही फर्म की होगी।
- ❖ उपरोक्त लेखाकर्मी के लिए प्रतिमाह देय राशि रूपये 18,655.00 से अगर कम दर प्रस्तुत की जाती है तो उनकी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

हस्ताक्षर
फर्म का नाम एवं पता